फर्द [illegible]

बनाम

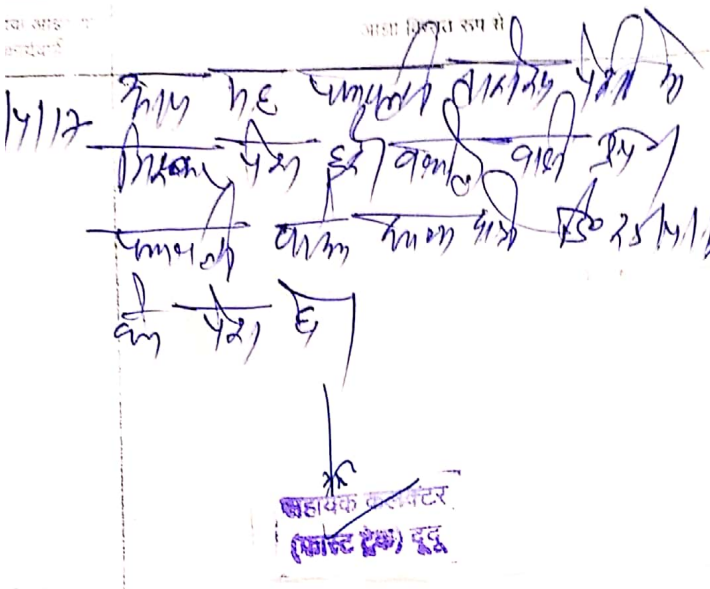

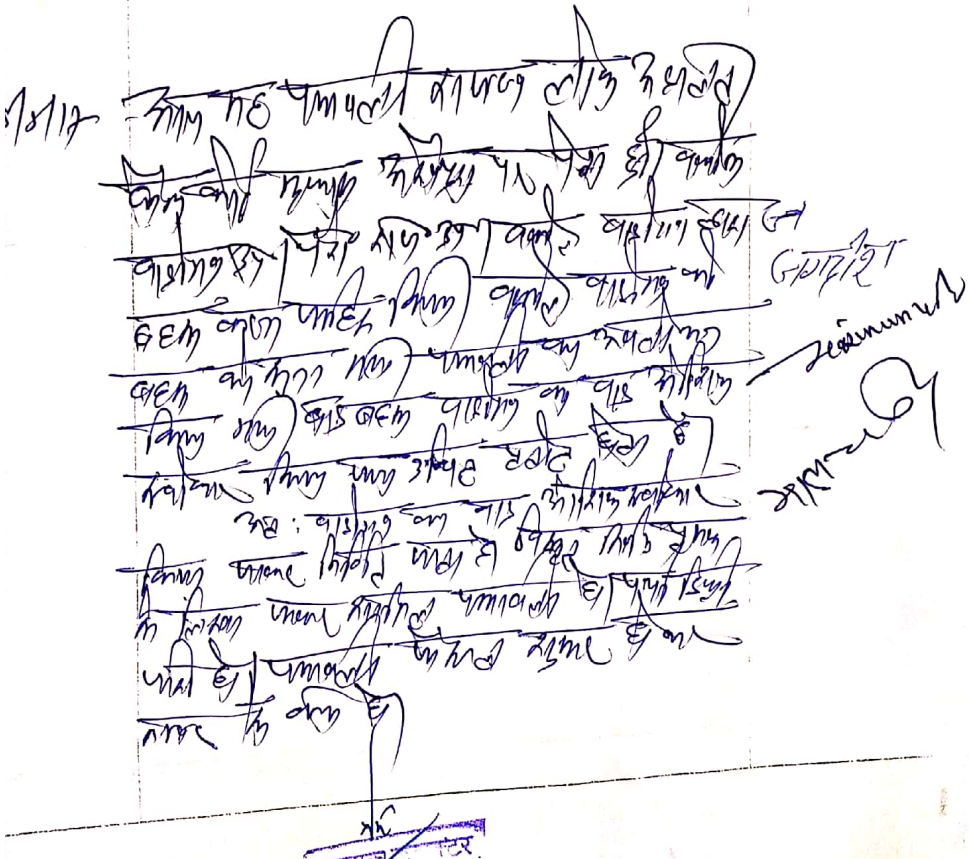

...आदेश या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	... विवरण
[illegible]/5/17	आज [illegible] पत्रावली [illegible] पेश [illegible] दिनांक 28/5/17 को पेश हो।	
	सहायक कलेक्टर (कोर्ट [illegible]) दूदू	
[illegible]/8/17	आज [illegible] पत्रावली [illegible] पेश [illegible] अतः [illegible] पत्रावली [illegible]	[illegible]
	सहायक कलेक्टर [illegible]	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार शिविर–2017"
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद
शिविर प्रभारी अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 244/2014
वाद दायरी दिनांक : 18/12/2014
निर्णय दिनांक : 25/05/2017

1. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. कल्याण पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. रामधन पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–– वादीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्री भैरूलाल शर्मा
श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 25/5/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 347 की आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 5.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 7.93 हैक्टेयर वाके ग्राम अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 989 व 995 ग्राम अखैपुरा से हाल खसरा नम्बर 1263, 1269

Scanned by CamScanner

कायम किये गये है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे अन्य सहखातेदारान के साथ ही वादीगण के पिता रामकरण के नाम दर्ज है। जिसमें आगे वल्दियत दर्ज नही कर रखी है। वादीगण के पिता रामकरण पुत्र घीसा जाट का स्वर्गवास दिनांक 03/10/2004 को हो गया है। जिसका मृत्यू प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन संख्या 06 दिनांक 08.10.2004 को ग्राम पंचायत अखैपुरा द्वारा जारी किया गया है। मृतक खातेदार की विवादग्रस्त भूमि एवं अन्य भूमि बाबत उसकी पुत्रियां कमशः सोहनी, गलकु, सुरज्ञान तथा श्रीमति केसर पत्नि रामकरण द्वारा दिनांक 27/12/2004 को वादीगण के हक में हकत्याग पत्र पंजीबद्व करवाया गया है इस प्रकार वादीगण उनके पिता रामकरण की मिल्कियत व खातेदारी काश्त की भूमि पर खातेदार बहैसियत काबिज चले आ रहे है। प्रथम पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011–29 के खाता संख्या 101 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 989 व 995 ग्राम अखैपुरा राज्य सरकार द्वारा सिवायचक दर्ज की गई तत्पश्चात उक्त भूमि मुताबिक कब्जा काश्त मौके अनुसार विभिन्न काश्तकार का कब्जा था को आवंटन नाम दर्ज कर दी गई परन्तु राजस्व कारकुनानों द्वारा वादीगण के पिता रामकरण का तो नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया परन्तु पिता घीसा का कॉलम खाली छोड कर मात्र रामकरण जाति जाट सा.केर दर्ज कर दिया गया है जो काबिले दुरूस्ती है वादीगण घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता अनपढ व भोले होने के कारण उक्त लिपिकीय त्रुटी का इल्म नही हो सका मृतक खातेदार ने उक्त भूमि पर स्टेट बैंक शाखा दूदू से ऋण प्राप्त किया तब भी कोई परेशानी उत्पन्न नही हुई परन्तु उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि का विरासत का नामांतकरण वादीगण के नाम दर्ज नही होने से उक्त इन्द्राज की जानकारी हुई तत्पश्चात वादीगण द्वारा प्रतिवादी को लिखित आवेदन व मौखिक निवेदन किया परन्तु उक्त इन्द्राज दुरूस्ती नही किया गया है। उक्त इन्द्राज सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश हुआ है जो काबिले दुरूस्त है। रामकरण पुत्र घीसा के नाम से अन्य कोई व्यक्ति जीवित नही है तथा विवादित भूमि से वादीगण के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है मौके पर वादीगण काबिज चले आ रहे है। उक्त इन्द्राज की जानकारी सर्वप्रथम वादीगण को दिनांक 12.06.2014 को राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने से हुई है तदनुसार प्रतिवादी को निवेदन करने एवं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.12.14 को कतई इन्कार कर कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

दूदू

Scanned by CamScanner

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी डिकी फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 5.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 7.93 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 13.05 हैक्टेयर हिस्सा 1/8 वाके ग्राम अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं डिकी की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। वादीगण/प्रार्थीगण की प्रार्थना बाबत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1263, 1269 कुल रकबा 13.05 हैक्टेयर हिस्सा 1/8 ग्राम अखैपुरा में दर्ज वर्तमान इन्द्राज रामकरण के आगे वल्दियत घीसा अर्थात रामकरण पुत्र घीसा जाति जाट सा.देह फरमायी जाकर नियमानुसार विरासत नामान्तकरण हेतु तहसील मौजमाबाद को आदेश प्रदान करावे।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी।

दिनांक 07/07/2015 को पत्रावली कैम्प कोर्ट गाडोता में पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई। जो शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 09/03/2016 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 जगदीश, पी.डब्ल्यू 2 मालचन्द, पी.डब्ल्यू 3 भंवरलाल के शपथ–पत्र पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

दिनांक 25/05/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत अखैपुरा में पेश हुई। कैम्प में वादीगण व पैरोकार उपस्थित हुये।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार राज की बहस कैम्प में मजमे आम में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल फोटो प्रति पर्चा खतौनी दिनांक 04/06/2005, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 347 दिनांक 12/06/2014, नकल खतौनी बन्दोबस्त दिनाक 26/06/2014, नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 दिनांक 12/06/2014, नकल फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र, नकल फोटो प्रति हकत्याग प्रमाण–पत्र दिनांक 28/12/2004, नकल फोटो प्रति पर्चा खतौनी सम्वत 2059 एवं पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 के खाता संख्या 347 में अन्य खातेदारों के साथ में वादीगण के पिता का नाम रामकरण जाति जाट दर्ज

Scanned by CamScanner

है, जिसमें वादीगण के पिता रामकरण की वल्दियत दर्ज नही है, वादीगण ने अपने पिता की वल्दियत दर्ज करवाते हुये विवादित आराजी की खातेदारी घोषणा चाही है, इस सम्बन्ध में मजमे आम में जानकारी करने पर यह पाया गया कि वादीगण के पिता रामकरण की वल्दियत घीसा है, पर्चा खतौनी में भी वल्दियत दर्ज नही है, तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 29 नायब तहसीलदार दूदू द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसमें सिवायचक से खातेदारी दर्ज की गई, जिसमें रामकरण वल्द घीसा का इन्द्राज पटवार हल्का द्वारा किया गया था लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय मात्र् रामकरण ही दर्ज कर दिया गया है, जिससे उक्त त्रुटि मात्र् सहवन से लिपिकीय भूलवश होना पायी जाती हैं। मृत्यु प्रमाण–पत्र से रामकरण पुत्र घीसा जाट की मृत्यु दिनांक 03/10/2004 को होना पाया जाता है, जिसके वादीगण विधिक वारिसान हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि उक्त आराजीयात वादीगण के पिता रामकरण पुत्र घीसा को आवंटन होना पायी जाती है, लेकिन सहवन से रामकरण की वल्दियत दर्ज नही की गयी है, तहसीलदार मौजमाबाद ने भी वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने बाबत अनुशंषा की हैं। वाद–पत्र में वादीगण द्वारा यह भी चाहा गया है कि उनका हिस्सा 1/8 दर्ज कर दिया जावें। जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 347 में सोन्या उर्फ श्योनारायण, हनुमान, गोपाल पि0 भोलू के नाम के समक्ष 1/32 अंकित है। अर्थात् केवल सोन्या वगैराह का ही हिस्सा दर्शाया गया है। शेष खातेदारों का हिस्सा उक्त जमाबन्दी में अंकित नहीं है। ना ही पैरोकार सरकार के जवाब में इसके सम्बन्ध में कोई टिप्पणी इत्यादि की गयी है। ऐसी स्थिति में वादीगण का हिस्सा सम्बन्धी चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। यदि वादीगण को अपने हिस्से की घोषणा करवायी जानी थी, तो उन्हें खाता संख्या 347 के समस्त सह खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। समस्त सह खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना न्यायालय वादी के हिस्से की घोषणा को स्वीकार नहीं कर सकती है। अतः वादीगण द्वारा चाहा गया हिस्से की घोषणा सम्बन्धी अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादीगण का वाद आंशिक रूप डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं।

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी 1263, 1269 कुल किता 02 कुल रकबा 13.05

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर वाके ग्राम अखैपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में दर्ज खातेदार रामकरण की वल्दियत घीसा अर्थात रामकरण पुत्र घीसा दर्ज किया जाकर विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण द्वारा चाही गया हिस्से सम्बन्धी घोषणा का अनुतोष खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/17 को कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत अखैपुरा में मजमे आम में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

शिविर प्रभारी / सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज0।

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31: '42

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू जिला जयपुर

श्री त्रिलोक चन्द मीणा (आर. ए. एस.)

...पुत्र रामकरण जाति-जाट बनाम तहसीलदार जी तहसील मोजमाबाद

...पुत्र रामकरण जाति-जाट दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

...पुत्र रामकरण जाति-जाट

...पुरा मुकदमा नं. 244 सन् 2014

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मोहनलाल शर्मा, श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी (वकील वादी)

पैरोकार सरकार ,मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

...गण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया

...वादग्रस्त आराजी 1263,1269 कुल किता 02 कुल रकबा 13.05

...र वाके ग्राम भरतपुरा, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर में दर्ज

...रामकरण की बजाय धीसा अर्थात रामकरण पुत्र धीसा दर्ज किया

मुबलिग .... बाबत

...मुकदमें के मय सूद वगैरह .... फीसदी ...... आज की तारीख से

...यगी तक .... का अदा करें।

...ज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 05 सन् 2017 को

...ई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner